International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण

शशिकान्त राव
एम.ए.राजीनति विज्ञान
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

भारतीय संविधान में 'शक्तियों' के पृथक्करण' के लिए कोई विशेषीकृत अंश या भाग निर्धारित नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधान इसे संसूचित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा किये जाने की शक्ति इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करता है। इससे सरकार के तीनों अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका) अपना कार्य करते हुए किसी प्रकार के अहंकार तथा अमर्यादित निर्णयों से बचते हैं।

विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य विवाद की स्थिति एक बार पुनः तब उत्पन्न हुई जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन के सन्दर्भ में पारित अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया। विधायिका ने वर्ष 2014 में इस आयोग के गठन हेतु 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे 13 अप्रैल, 2015 को केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया।

इस अधिनियम के द्वारा एक न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे शून्य घोषित किए जाने को विधायिका ने अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप माना । अपने–अपने, अधिकार क्षेत्र को लेकर हमेशा से विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रही हैं।

भारत में शक्ति पृथक्करण के संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगो के कार्यों में पर्याप्त रूप से अन्तर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान ने सरकार के तीनों अंगो– विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भिन्न–भिन्न भूमिकाएं प्रदान की हैं। प्रत्येक अंग की शक्ति, विशेषाधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका इन्हें लागू करती है और न्यायपालिका इनकी व्याख्या करती है। भारत के संविधान में

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

उल्लिखित है कि अनुच्छेद–53 (1) और अनुच्छेद–154 (1) के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो विधायी एवं न्यायिक शक्तियां किसी विशेष अंग को देने की बात करता हो। यह गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद–50 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित किए जाने के पश्चात न्यायिक प्रणाली में कार्यपालिका के अधिकारियों को कोई काम नहीं सौंपा गया है। न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का विकास

फ्रांस के एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक मॉण्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उसने 1748 ई0 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया था। मॉण्टेस्क्यू ने इस सिद्धान्त का विकास लोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के एक हथियार के रूप में किया। उसका विश्वास था कि यह सिद्धान्त एक अंग विशेष की अत्यधिक बढ़ती शक्ति को अवरूद्ध करेगा, जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए घातक बनेगी। माण्टेस्क्यू से पूर्व महान दार्शनिक एवं राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु ने भी शक्तियों के विभाजन के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत किया था।

आधुनिक काल के प्रारम्भिक चिन्तकों में से एक जीन वोदिर्रा ने कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों के पृथक्करण के महत्व को उद्कारित किया। 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों में जॉन लॉक एक ऐसे दार्शनिक थे, जिन्होंने सरकार की शक्तियों के केन्द्रीकरण की समस्या की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति का विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन

इस दिशा में कुछ खास संवैधानिक प्रावधान संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों के लिए भी प्रदान किये गये हैं, ऐसे प्रावधान विधायिका की स्वतंत्रता के लिए बनाए गये हैं, लेकिन यदि सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त भारत में इसके यथार्थ रूप में अपनाया नहीं गया है। कार्यपालिका, विधायिका का एक हिस्सा है। अपने कृत्यों के लिए कार्यपालिका, विधायिका से ही प्राप्त करती है। भारत, क्योंकि एक संसदात्मक व्यवस्था है, इसलिए यह विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ सहयोग एवं अतरंग सम्पर्क पर आधारित है। हालांकि, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन यथार्थ में वह एक नाममात्र का अध्यक्ष है

और प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिपरिषद सहित वास्तविक प्रमुख है। सामान्य तौर पर, विधायिका विधि निर्माण कार्य करती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को भी विधायी कृत्यों की शक्ति प्रदान की गई हैं; जैसे– अध्यादेश जारी करना, लोक सेवाओं के मामले पर नियम एवं विनियम बनाना, कानून निर्माण करना, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त हो।

हमारे संविधान में शक्तियों का कठोरता से पृथक्करण नहीं है। दिल्ली लॉज ऐक्ट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का कोई भी अंग संविधान द्वारा उसे दिए गये सारवान कृत्यों को किसी और को नहीं सौंप सकता। यह सांविधानिक न्यास के सिद्धान्त पर आधारित है। हमारा संविधान विभिन्न अंगों को विभाजित करने के लिए उनके बीच दीवार खड़ी नहीं करता। केशवानन्द बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि पृथक्करण की शक्ति संविधान का आधारिक लक्षण है, जिसे संविधान का संशोधन करके क्षीण नहीं किया जा सकता।

विभिन्न घटकों के मध्य विवाद निपटान तन्त्र

यदि भारत में सरकार के किन्हीं दो अंगो के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है; तो सभी तन्त्रों एवं संस्थाओं के ऊपर भारत का संविधान व्यापक रूप से मामले को देखता है। उदाहरणार्थ, भारत के संविधान का अनुच्छेद–121 सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उनके कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर संसद में किसी भी प्रकार के विचार–विमर्श को प्रतिबन्धित करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद–122 यह व्यवस्था करता है कि संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद–361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद–129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दण्ड देने की शक्ति होगी। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त पर स्पष्ट विभाजन एवं व्यापक सहमति के बावजूद, व्यवहार में, समय–समय पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, जब राज्य का एक अंग संविधान के तहत उसे सौंपे गये कृत्यों की सीमाएं लांघ देता है। बतौर संविधान का संरक्षक, भारत का सर्वोच्च न्यायाल विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद निपटान तन्त्र है। इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यकरण के सन्दर्भ में विवाद निपटान तन्त्र में संविधान, संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को शामिल किया जा सकता है।

विभिन्न देशों में शक्ति पृथक्करण

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)

शक्ति पृथक्करण के दर्शन ने यूएसए के संविधान निर्माण को बेहद प्रभावित किया, जिसके अनुसार अमेरिकी सरकार की विधायी कार्यकारी एवं न्यायिक शाखाओं की शक्ति के दुरूपयोग को रोकने के क्रम में पृथक रखा गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त सन्तुलन एवं अवरोध तन्त्र से जुड़ा होता है। अमेरिकी संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद–1 विधानमण्डल को शक्तियां प्रदान करता है; अनुच्छेद–2 राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है; और अनुच्छेद–3 एक स्वतंत्र न्यायपालिका का सृजन करता है।

कांग्रेस का चुनाव राष्ट्रपति के पृथक रूप से किया जाता है, जो विधानमण्डल का भाग नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के कृत्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक शक्ति सर्वेच्च न्यायालय में निहित होती हैं और अधीनस्थ न्यायालय कांग्रेस द्वारा स्थापित किये जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह एवं सहमति से की जाती है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा द्वारा न्यायापालिका और विधायिका पर नियन्त्रण रखता है। इस प्रकार यूएसए में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है।

युनाइटेड किंगडम

युनाइटेड किंगडम के संविधान को अक्सर एक कमजोर शक्ति पृथक्करण वाली व्यवस्था के तौर पर विवेचित किया जाता है। उदाहरणार्थ, यूके में कार्यपालिका विधानमण्डल की उप–व्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री, मुख्य कार्यपालिका, युनाइटेड किंगडम में संसद के एक सदस्य के तौर पर पदासीन होता है; वह हाउस ऑफ लॉडर्स में या तो पीयर (मनोनीत) के तौर पर होता है या हाउस ऑफ कामन्स के निर्वाचित सदस्य के तौर पर होता है और प्रभावी रूप से सामान्य बहुमत से पद से हटाया जा सकता है।

युनाइटेड किंगडम में न्यायपालिका को प्राथमिक कानून को शून्य करने की शक्ति नहीं है, और केवल द्वितीय कानून के साथ असंगत होता है, तो संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा के तहत संसद अपनी पसन्द के किसी भी प्रथम विधान को लागू कर सकती है। इस प्रकार युनाइटेड किंगडम में एक कमजोर शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

स्विट्ज़रलैण्ड

स्विट्ज़रलैण्ड के संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप में अपनाया गया है। वहां कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

स्विट्ज़रलैण्ड की कार्यपालिका शक्ति ब्रिटेन, यूएसए, भारत आदि देशों की भांति किसी एक व्यक्ति में निहित है, इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। यहां की विधायिका को संघीय सभा कहते हैं। यह द्विसदनात्मक होती है। स्विट्ज़रलैण्ड में समस्त संघीय क्षेत्र के लिए केवल एक ही न्यायालय है, जिसे संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है, यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है।

निष्कर्ष

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को भले ही कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव के सन्दर्भ में भी देखा जाता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, जो तीनों अंगों को निरंकुश होने से बचाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएस लोढ़ा ने 15 अगस्त, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में तिरंगा फहराने के बाद कहा कि 'न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में स्वयं को सर्वोच्च बताने एवं दिखाने की प्रवृत्ति आ गई है।

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा कहा गया कि कार्यपालिका जब अपने दायित्व निर्वहन में विफल हो जाती है तब न्यायपालिका को उसके अधकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस बयान का राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध किया गया।

सन्दर्भ

Aseema Sinha (2005). The Regional Roots Of Developmental Politics In India: A Divided Leviathan. Indiana University Press. pp. 114

Robert L. Hardgrave and Stanley A. Koachanek (2008). *India: Government and politics in a developing nation* (Seventh ed.). Thomson Wadsworth. p. 146

"Article 293 and its application" (PDF). *Fincomindia.nic.in.* Retrieved 21 March 2016

"Central acts applicable to J&K state" (PDF). Jklaw.nic.in. Retrieved 23 August 2014

Singh, Prabhat (11 February 2015). "Has Article 356 been the Centre's AK-56?". *Livemint.com.* Retrieved 18 October 2017.

Hegde, Sanjay. 'The Judiciary Can Stop the Misuse of Article 356, If It Chooses to Act - The Wire". Thewire.in. Retrieved 18 October 2017

"Article 356: Its Use and Misuse". Jagranjosh.com. 1 April 2016. Retrieved 18 October 2017.

Sharma, Chanchal Kumar (10 March 2017). "A situational theory of pork-barrel politics". *India Review.* **16**: 14–41.

Government Of India (18 October 2017). "The Government Of India Act 1935". Internet Archive. Retrieved 18 October 2017.

Government Of India (18 October 2017). "The Government Of India Act 1935". Internet Archive. Retrieved 18 October 2017.

"Freedom of Trade, Commerce and Intercourse in India". Desikanoon.co.in. Retrieved 23 March 2016